भर्ती संबंधी सूचना

आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों में वाटरमेन हेतु 06 पद, चौकीदार हेतु 02 पद तथा स्वीपर हेतु 04 पद कुल 12 पदों के लिए आवेदन पत्र अंतिम तिथि 04.12.2017 तक आमंत्रित की गयी थी।

वाटरमेन हेतु 3299 आवेदन पत्र, चौकीदार पद हेतु 1076 एवं स्वीपर पद हेतु 860 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा इस प्रकार कुल 5235 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है।

ऐसे आवेदन पत्र जिसमें वाटरमेन, चौकीदार व स्वीपर के पद का उल्लेख नहीं किया गया तथा जो आवेदन पत्र अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त हुए है, उनके संबंध में चयन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि उक्त आवेदन पत्रों को निरस्त किया जावे तथा उसकी सूची कमशः ए व बी के रूप में व्यक्त करे।

विज्ञापित पद हेतु अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण चयन समिति यह निर्णय लिया गया कि आवेदन पत्रों की छंटनी किया जाना उचित होगा।

आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । लेकिन बहुत सारे आवेदन ऐसे प्राप्त हुए है, जो इंजीनियर, पीजीडीसीए से संबंधित है, जो कि उक्त पद हेतु योग्यता से अधिक है। अतः चयन समिति के द्व ारा यह निर्णय लिया गया जिनके द्वारा आवेदन में इलेक्ट्रिशियन, प्लबर,

कारपेंटर, ड्राईविंग, चौकीदार, भृत्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है तथा आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उन्हीं आवेदकों को कौशल परीक्षा हेतु आहुत किया जाये, शेष सभी आवेदक पत्रों को अपात्र घोषित किया जाना तय किया गया।

प्राप्त आवेदनों की स्कुटनी की जाकर पद अनुसार सूची तैयार की गई, जिसमें वाटरमेन पद हेतु प्राप्त आवेदनों 3299 में से 94 आवेदन पत्रों को पात्र, चौकीदार पद हेतु प्राप्त आवेदनों 1076 में से 35 आवेदन पत्रों को पात्र व स्वीपर पर हेतु प्राप्त आवेदनों 860 में से 15 आवेदन पत्रों को पात्र एवं शेष आवेदन पत्रों को अपात्र पाया गया।

पात्र/अपात्र आवेदन पत्रों की सूची क्रमशः सी, डी, ई, एवं एफ, जी, एच, से अंकित किया गया, उक्त सूचियों को जिला न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट में अपलोड कर, पात्र/अपात्र की सूची के संबंध में अभ्यिर्थियों द्वारा दिनांक 25.01.2018 को शाम 05.00 बजे तक स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को चयन समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आपत्ति का निराकरण दिनांक 31.01.2018 तक चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

17/1/18

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला न्यायालय, रायगढ